

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2016/पौष 17, 1937

No. 34]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2016/ PAUSA 17, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2016

का.आ. 40(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में उक्त अधिनियम के अधीन बिहार राज्य के भीतर गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी पाइपलाइनों के लिये मानदेय आधार पर सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये श्री रजनीकांत वरीय उप समाहर्ता, बिहार सरकार, को प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. एल-14014/1/16 - जी. पी.-II]

एस.पी. अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2016

S.O. 40(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), Central Government hereby authorizes Shri Rajni Kant, Senior Deputy Collector, Government of Bihar on Honorarium basis to perform the functions of Competent Authority for all pipelines of GAIL (India) Limited, under the said Act, within Bihar State.

[F. No. L-14014/ 1 /16-G.P.-II]

S. P. AGARWAL, Under Secy.